

नियम

1. जिस व्यक्ति के लिये यह परिचय-पत्र है, वह इसे किसी दूसरे को प्रयोग के लिये नहीं दे सकता है।
2. इस परिचय-पत्र के खो जाने, चोरी या नष्ट हो जाने पर दूसरा परिचय-पत्र निर्धारित शुल्क जमा करने पर जारी किया जायगा।
3. परिचय-पत्र धारक यदि, अन्य जिले में स्थानान्तरित होता है तो उस जिले के जिलाधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परिचय-पत्र को प्रति हस्ताक्षरित कराया जाय।
4. इस परिचय-पत्र का नवीनीकरण प्रत्येक पांच वर्षों बाद कराना होगा।
5. परिचय-पत्र पर अनधिकृत रूप से कुछ लिखना, काट-छांट करना अथवा किसी प्रकार खराब करना वर्जित है। ऐसा करने से परिचय-पत्र स्वतः अमान्य हो जायेगा।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी००१ प्रान्तीय 19-3-85-
(4054) 1985-50,000 (हिन्दो)।



उत्तर प्रदेश शासन

परिचय-पत्र

राजपत्रित अधिकारी

(०४/२०२६ तक मान्य) (संख्या 592/17-0-21
...)



Handwritten signature and date: 27-08-2021

राजपत्रित
राजकीय पॉलीटेक्निक
लखनऊ-००१

नाम — सुमेधा सिंह
पदनाम — व्या० रसायन
विभाग/कार्यालय — राजकीय पॉलीटेक्निक लखनऊ-००१
वेतन — मूल वेतन - 56100 (लेवल-10)
[४०५०३०]